नगरपालिका आम निर्वाचन/
उप निर्वाचन, 2026

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

संख्या :–न.नि.50–05/2026...930 पटना, दिनांक 05.03.26

आदेश

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–443(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार द्वारा नवगठित/उत्क्रमित/क्षेत्रविस्तारित नगरपालिकाओं यथा–नगर परिषद्–फुलवारी शरीफ, नगर परिषद्–दानापुर निजामत, नगर परिषद्–खगौल (पटना), नगर पंचायत–महाराजगंज (सिवान), नगर पंचायत–सोनपुर (सारण), नगर पंचायत–मधुबन (पूर्वी चम्पारण), नगर पंचायत–मदनपुर, नगर पंचायत–जम्हौर (औरंगाबाद) के आम निर्वाचन, 2026 एवं राज्य के अन्य नगरपालिकाओं में कतिपय कारणों से रिक्त हुये पद के निमित्त होने वाले उप निर्वाचन के लिए **राज्य के प्रत्येक जिला के लिए उस जिला के जिला दण्डाधिकारी को जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका) के रूप में पदाभिहित किया जाता है।**

2. उक्त अधिनियम के धारा–443(2) में वर्णित है कि राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) की सहायता के लिए एक या एक से अधिक जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) को पदाभिहित या नाम निर्दिष्ट कर सकेगा, जो उप समाहर्त्ता स्तर के पदाधिकारी से अन्यून हो।

उक्त परिप्रेक्ष्य में भारत का संविधान के अनुच्छेद 243ZA बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (यथासंशोधित) की धारा–14 तथा बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007(यथासंशोधित) के नियम 92 में निहित शक्तियों के आलोक में आयोग द्वारा आपकी सहायता हेतु एक या एक से अधिक जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका), जो उप समाहर्त्ता स्तर से अन्यून हो, को नियुक्त करने हेतु आपको प्राधिकृत किया जाता है।

परन्तु यह कि राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार के निर्देशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अध्यधीन जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका), अपनी अधिकारिता के क्षेत्र में निर्वाचन के संचालन से संबंधित सभी कार्यों का समन्वय एवं पयवेक्षण तथा अनुश्रवण करेंगे।

अनुरोध है कि नियुक्त जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) का नाम, पदनाम एवं दूरभाष संख्या संबंधी सूचना निम्नांकित प्रपत्र में आयोग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये तथा आयोग के पोर्टल पर भी अपलोड किया जाए।

नामित जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) का विवरण			
नाम	पदनाम	मोबाईल नम्बर	ई–मेल

राज्य निर्वाचन आयुक्त, के आदेश से

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त। 5/3/26

ज्ञापांक– संख्या :–न.नि.50–05 / 2026...930 पटना, दिनांक 05.03.2026

प्रतिलिपिः– आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर पत्र अपलोड करने हेतु प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त। 5/3/26

ज्ञापांक– संख्या :–न.नि.50–05 / 2026...930 पटना, दिनांक 05.03.2026

प्रतिलिपिः– सभी अपर मुख्य सचिव, सभी प्रधान सचिव, सभी सचिव, सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिला दण्डाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त। 5/3/26

ज्ञापांक– संख्या :–न.नि.50–05 / 2026...930 पटना, दिनांक 05.03.2026

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार सरकार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त। 5/3/26